

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकास शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र० 2400166-ए/2016

F.N. 102050/2016

संस्थापित दिनांक-22.09.2016

रामबाबू पुत्र तुलसीराम आयु 62 वर्ष, पेशा  
काश्तकारी निवासी ग्राम खेरा श्यामपुरा  
परगना व जिला भिण्ड (म०प्र०)

.....आवेदक/वादी

वि रू द्ध

1. राकेश उम्र 28 वर्ष,
2. अनिल उम्र 33 वर्ष,  
पुत्रगण रामशंकर जाति ब्राम्हण पेशा  
काश्तकारी निवासी ग्राम खेरा श्यामपुरा  
परगना व जिला भिण्ड(म०प्र०)
3. रामशंकर पुत्र तुलसीराम उम्र 63 वर्ष, पेशा  
काश्तकारी निवासी ग्राम खेरा श्यामपुरा  
परगना व जिला भिण्ड (म०प्र०)
4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, भिण्ड

---अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

( आज दिनांक 05.09.2017 को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सीपीसी का निराकरण करेगा।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक/वादी रामबाबू एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 रामशंकर सगे भाई हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 रामशंकर के पुत्र हैं।
3. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पिता रामशंकर खास भाई हैं। प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं वादी के बड़े भाई रामसिया लाओलाद फोट हुए थे तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादी के छोटे भाई रामशंकर की संतान हैं। मृतक

रामसिया के स्वामित्व व आधिपत्य की मौजा खेरा श्यामपुरा में सर्वे क्रमांक 795, 828, 829, 835, 838 रकबा 2.73 हेक्टर भूमि स्थित है, जिस पर कानूनन वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पिता समान भाग के स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी होकर वादी का कब्जा व काश्त है तथा मृतक रामसिया ने अपने जीवनकाल में 1/2 भाग वादी को तथा 1/2 भाग प्रतिवादी क्रमांक 3 को दिया था। ग्राम खेरा श्यामपुरा में व एक मकान मीरा कॉलोनी भिण्ड में स्थित है। दिनांक 23.11.1981 को मीरा कॉलोनी स्थित मकान 25 × 80 फीट को वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 ने संयुक्त रूप से समान भाग बयनामा के द्वारा क़य किया गया था। ग्राम खेरा श्यामपुरा में स्थित जायदाद कृषि भूमि, श्यामपुरा एवं मीरा कॉलोनी स्थित मकान में वादी का हक मारने की नियत से प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा मृतक भाई रामसिया को धोखा देकर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के हक में वसीयतनामा दिनांक 30.12.1999 कराया गया है। मृतक रामसिया की वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा समस्त आश्यकताओं की पूर्ति की गई तथा उनकी मृत्यु दिनांक 07.08.2016 को हो जाने पर उनकी तेहरवी आदि के कार्य संपन्न किये गये थे। प्रतिवादीगण द्वारा वसीयतनामा दिनांक 30.12.1999 को छिपा कर रखा गया तथा किसी को उक्त तथ्य की जानकारी नहीं हुई तथा रामसिया की तेरहवीं के बाद प्रतिवादीगण रामसिया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की जायदाद एवं मकान पर कब्जा छोड़ने की धमकी देने लगे, कारण पूछने पर प्रतिवादी क्रमांक 3 ने बताया कि रामसिया से वसीयतनामा धोखे से प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के हक में संपादित करा लिया गया है, जब कि वादी रामसिया का खास भाई होकर विधिक वारिस है। रामसिया द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वसीयत के संबंध में कभी किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई तथा छल कपट करके उक्त वसीयतनामा संपादित कराया गया है। जब इस संबंध में दिनांक 20.09.2016 को रिश्तेदारों एवं भले लोगों को बुला कर पंचायत लगायी गयी तो प्रतिवादी क्रमांक 3 ने उक्त विवादित जायदाद पर जबरन कब्जा करने एवं नामांतरण कराने एवं बेदखल करने की धमकी दी गई तो वादी ने तहसील न्यायालय में आपत्ति पेश की गई।

बयनामा की मूल प्रति प्रतिवादी क्रमांक 3 के पास होने से उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रकरण के साथ संलग्न की गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि मामले के निराकरण तक वादी के कब्जेकाशत एवं मीरा कालोनी में स्थित मकान के उपयोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। आवेदन के समर्थन में वादी रामबाबू ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

4. प्रतिवादीगण ने लिखित कथन एवं वादी के अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन का जबाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि विवादित सर्वे क मृतक क्रमांक रामसिया के स्वत्व के है, किन्तु उस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पिता तथा वादी का कब्जा काशत नहीं है और न ही मृतक रामसिया ने 1/2 भाग वादी को तथा 1/2 भाग प्रतिवादी क्रमांक 3 को दिया है। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा दिनांक 23.11.1981 को संयुक्त रूप से समान भाग के रूप में मीरा स्थित प्लॉट क्रय किया गया था, परंतु वादी द्वारा अपना संपूर्ण 1/2 भाग दिनांक 03.03.1986 को रामसिया को मय कब्जे के विक्रय कर दिया गया था, इसलिये वादी का उक्त मकान पर कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है। मृतक रामसिया द्वारा स्वेच्छया से अपने हिस्से की जायदाद एवं मकान के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के हक में दिनांक 30.12.1999 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा संपादित किया गया है। वादी रामसिया के हिस्से की संपत्ति एवं मकानों पर वादी का अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में न होने से वादी क ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। जबाब के समर्थन अनावेदक क्रमांक/प्रतिवादी क्रमांक 1 राकेश की ओर से स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसर हुई है ।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक/वादी को आर्थिक/अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

7. इस मामले में यह अविवादित है कि वादी रामबाबू एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 रामशंकर सगे भाई हैं तथा उनका सगा भाई मृतक रामसिया था, जिसकी निःसंतान दिनांक 07.8.2016 को मृत्यु हुई है। इस मामले में मृतक रामसिया की संपत्ति ही विवादित संपत्ति है।

8. वादी के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन के अनुसार मृतक रामसिया की संपत्ति पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 का उसकी मृत्यु के उपरांत समान भाग है और मृतक रामसिया ने जीवनकाल में ही विवादित सर्वे क्रमांक के क्षेत्रफल को वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 को समान भाग में दे दिया था तथा मीरा कालोनी भिण्ड स्थित मकान को वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1981 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 3 के साथ संयुक्त रूप से कर लिया था। इस प्रकार उपरोक्त विवादित संपत्ति पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है, जबकि प्रतिवादीगण के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन के अनुसार विवादित संपत्ति मृतक रामसिया ने प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में वसीयत की है। इस प्रकार उभयपक्ष के अभिवचन एवं शपथपत्रीय कथन इस संबंध में परस्पर विरोधाभासी हैं कि विवादित संपत्ति किसके स्वत्व एवं आधिपत्य की है।

9. वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खतौनी वर्ष 2016-17, रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 30.12.1999 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1981 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा रामसिया का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 03.03.1986 की प्रमाणित



प्रतिलिपि तथा नगर पालिका समेकित कर की पंजी की सत्यप्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की है। वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी वर्ष 2016-17 से यह प्रकट हो रहा है कि विवादित सर्वे क्रमांक रामसिया के स्वामित्व के सर्वे क्रमांक है।

10. वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1981 के अवलोकन से प्रकट है कि वादी रामबाबू एवं प्रतिवादी रामशंकर ने मीरा कालोनी में 80 X 25 वर्ग फीट का प्लॉट संयुक्त रूप से क्रय किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 03.03.1986 के अवलोकन से प्रकट है कि वादी रामबाबू द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1981 के माध्यम से क्रय किये गये प्लॉट में से अपने हिस्से को उक्त विक्रय पत्र दिनांक 03.03.1986 के माध्यम से रामसिया को विक्रय कर दिया था। इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों से यह स्पष्ट है कि मीरा कालोनी स्थित प्लॉट पर वादी का प्रथम दृष्टया कोई हक नहीं है।

11. वादी द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी ने इस आवेदन में यह सहायता चाही है कि प्रतिवादीगण को विवादित सर्वे क्रमांक में उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने तथा मीरा कालोनी स्थित मकान में उपयोग किये जाने से रोका जाये। वादी के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज से प्रथम दृष्टया विवादित संपत्ति पर वादी का प्रथम दृष्टया आधिपत्य होना दर्शित नहीं है। वादी ने वाद पत्र में वसीयतनामा दिनांक 30.12.1999 को फर्जी होने का अभिवचन किया है। उक्त वसीयतनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है और इस प्रक्रम पर इस तथ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि उक्त दस्तावेज फर्जी है अथवा नहीं। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

12. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है और वादी का प्रथम दृष्टया विवादित संपत्ति पर आधिपत्य होना

भी प्रकट नहीं है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

13. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

(विकाश शुक्ला)  
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक- 05.09.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)  
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
भिण्ड (मध्यप्रदेश)